कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरांत श्री महेन्द्र सिंह चारण, मेरिट सं. 451 का पदस्थापन शिविरा–मा/संस्था/सी–7/नियुक्ति–हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांकः 19.03.16 द्वारा व्याख्याता हिन्दी के पद पर राउमावि चारवाड़ा (डूंगरपुर) में किया गया, जिसकी पालना में श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा उक्त पद पर दिनांक–28.03.16 के द्वारा कार्यग्रहण किया गया ।

श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह चारण, व्याख्याता हिन्दी, राउमावि चारवाडा डूंगरपुर द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा–2013 विषय हिन्दी में नियुक्त उनसे न्यून वरीयता वाले कार्मिको के समान वेतन स्थिरीकरण वरिष्ठता वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सि. याचिका सं. 4875/2016 नरेन्द्र सिंह बनाम सरकार दायर की ।

प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–07.02.19 को निर्णय पारित करते हुए याचिकार्थी को उनसे न्यून मेरिट के अभ्यर्थी की नियुक्ति दिनांक 18.07.15 से समस्त नोशनल परिलाभ दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये । प्रकरण में राज्य सरकार के पत्रांक–प.17(46)माध्य/शिक्षा–2/वि.प्र./2019 दिनांक–27.03.19 के द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक–07.02.19 के विरूद्ध आगे अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया ।

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित अभिलेख एवं नियमो के सन्दर्भ में याचिकार्थी द्वारा की गई मांग का गहनता पूर्वक परीक्षण मनन एवं विचार करने के उपरांत यह पाया गया कि याचिकार्थी श्री नरेन्द्र सिंह व्याख्याता हिन्दी राउमावि चारवाडा डूंगरपुर (मेरिट सं. 451) को प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 में आदेश शिविरा–मा/संस्था/सी–7/नियुक्ति–हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांक 19.03.16 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई । जबकि इनसे न्यून वरीयता वाले पूर्व में चयनित अभ्यर्थी श्री रिपुदमन सिंह उज्जवल, व्याख्याता हिन्दी राउमावि थामला उदयपुर (मेरिट सं. 461) की अभिस्तावना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त होने पर आदेश कमांक– शिविरा–मा/संस्था/सी–7/नियुक्ति–हिन्दी/पीएससी/2015 दिनांक 18.07.15 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई ।

अतः माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक–07.02.19 एवं शासन के पत्र दिनांक–27.03.19 के क्रम में याचिकार्थी नरेन्द्र सिंह व्याख्याता हिन्दी राउमावि चारवाडा डूंगरपुर को वास्तविक परिलाभ यथा वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ प्राध्यापक पद पर स्थायीकरण तिथि से, काल्पनिक लाभ याचिकार्थी के न्यून वरीयता वाले अभ्यर्थी के समान देय होगें । उक्त सभी परिलाभ याचिकार्थी के परीवीक्षाकाल समाप्ति के उपरांत ही देय होगें ।

सम्बन्धित सभी पक्षकार सूचित हों

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/राकेशकुमार/21906/17/2018 दिनांकः– 20/5/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. व. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (ग्रुप–2) वि.प्र. शासन सचिवालय जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी...
4. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
5. विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को विधि/बी–/जोध/29863/डी/2016 के क्रम में ।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु
7. संबंधित कार्मिक
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर